### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)

### **GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)**

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2014-15: -

(a) Sec	tor-wise disclosu	res in respeci	oj Guarar	nees given by	ine Union	Governmen	i auring ine j	yeur 2014-13: -	
मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष	वर्ष के दौरान	वर्ष के	दौरान	वर्ष के अंत मे	ां बकाया गारंटी क	मीशन अथवा फीस
	गारंटीकृत	आरंभ	के	विलोपन (वर्ष	मांगी गई				
	अधिकतम	में बकाया	दौरान	के दौरान					
	राशि		परिवर्धन	याचित के					
				अलावा)					
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoke	d during	Outstanding	Guarantee Con	mmission or Fee
Department	Amount	at the	during the	during the	the	year	at the		
	Guaranteed	beginning of	year	year (Other			end of		
	during the	the year		than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	the year		
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged	l	Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									करोड़ रुपयों में)

करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

क्षेत्र - (i) - विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनअर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां -

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय

MÏNISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 — — — 7000.00 70.00 70.00 (2) (2)

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	31716.70 (39)	28759.36 (39)	2957.34	2248.70	_	_	29468.00 (39)	341.84	341.84
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND									
RENEWABLE ENERGY	4497.98	3483.97	1014.01	229.88	_	_	4268.10	80.87	80.87
कोयला मंत्रालय	(10)	(8)	(2)				(8)		
MINISTRY OF COAL	802.74	796.38	6.36	140.06	_	_	662.68	20.48	20.48
2 ()	(3)	(3)					(3)		

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग-(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी सिमितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पुंजी प्रदान करने हेत दी गई गार्रिटयां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय-MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation 2900.00 2500.00 400.00 400.00 2500.00 (2) (1) (1) (1) (1)

क्षेत्र - (iii) - सिंचाई

### Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग-(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी सिमितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पुंजी प्रदान करने हेत् दी गई गार्रिटयां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF Water Resources — — — — — — — — — 2.59 —

# FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)...जारी

### GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.

मंत्रालय∕विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई	दौरान	वर्ष के अंत में ब	काया गारंटी कम	नीशन अथवा फीस
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoke	d during	Outstanding	Guarantee Co	mmission or Fee
Department	Amount	at the	during the	during the	the	e year	at the		
	Guaranteed	beginning of	year	year (Other			end of		
	during the	the year		than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	the year		
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

वर्ग - (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज⁄वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों⁄पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियांः

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

वित्त मंत्रालय

### MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

-111 11 111 11 11 11 11							
Department of Economic Affairs	122.05	122.05	 4.97	_	 117.08	1.43	1.43
	(1)	(1)			(1)		

क्षेत्र - (iv) - सड़क और परिवहन

### Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	60.57	0.07	60.50	 _	_	60.57	0.61	0.61
	(3)	(2)	(1)			(3)		

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियांः

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय									
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	34186.91	26576.61	7610.30	3092.34	_	_	31094.57	100.81	2.23
	(24)	(20)					(24)		
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय									
MINISTRY OF ROAD TRANSPOR	Γ								
AND HIGHWAYS	711.79	641.36	70.73	36.14		_	675.65	1.78	1.78
	(1)	(1)					(1)		
वित्त मंत्रालय									
MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affairs	220.24	220.24	_	53.80	_	_	166.44	1.57	1.57
	(1)	(1)					(1)		

# क्षेत्र - (v) - राज्य वित्तीय निगम

**Sector - (v) - State Financial Corporations** 

— शून्य / NIL —

# क्षेत्र - (vi) - शहरी विकास और आवास

### Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियांः

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-1)...जारी

# GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.

OC.	MICHIEL	ES GIVEN DI	GOVERNI	TENT. DISCL	OBURE REQ	CHEMIEN	.5 (IGAS-1)Coma.		
	ार्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई	दौरान	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी व	कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoked	d during	Outstanding	Guarantee	e Commission or Fee
Department	Amount	at the	during the	during the	the	year	at the		
	Guaranteed during the year	beginning of the year	year	year (Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	end of the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई e Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	503.71 (2)	365.10 (2)	138.61	_	_	_	503.71 (2)	4.38	करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees) 4.38
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA  वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग	571.03 (2)	571.03 (2)	_	66.71	_	_	504.32 (2)	4.64	4.64
Department of Economic Affairs	680.00 (3)	680.00 (3)	_	45.11	_	_	634.89 (3)	2.78	2.78

क्षेत्र - (vii) - अन्य अवसंरचना

### Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:— Class-(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

दुरसंचार विभाग

Department of 7513.97 3745.00 3768.97 — — 7513.97 16.38 16.38 Telecommunications (4) (3) (1) (4)

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय

### MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य

# Sector - (viii) - Any Other

वर्ग-(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग

MINISTRY OF INDUSTRY	449.01	449.01	_	_	_	_	449.01	15.69	2.53
Department of Heavy Industries	(9)	(9)					(9)		

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)...जारी

# GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई	दौरान	वर्ष के अंत में बका	या गारंटी कमी	शन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount	Outstanding at the	Additions during the	Deletion during the		d during e year	Outstanding at the	Guarantee Con	mmission or Fee
	Guaranteed during the year	beginning of the year	year	year (Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	end of the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER A FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	AFFAIRS, 54495.00 (2)	54495.00 (2)	_	_	_	_	54495.00 (2)		करोड़ रुपयों में) crore of rupees) —
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMAI MEDIUM ENTERPRISES, Khadi & Village Industries Commission (KVIC) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS	285.00 (1)	285.00 (1)	_	0.50	_	_	284.50 (1)	68.44	_
Department of Chemicals and Petrochemicals	3.59 (1)	3.59 (1)	_	_	_	_	3.59 (1)	0.04	_

औषध निर्माण विभाग									
Department of Pharmaceuticals	1071.12	1055.40	15.72	_	_		1071.12	70.03	_
	(4)	(4)					(4)		
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affairs	18853.90 (19)	13049.54 (17)	5804.36 (2)	149.01	_	_	18704.89 (19)	49.97	49.71
	(1)	(17)	(2)				(1))		

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	16989.12 (19)	16989.12 (19)	_	793.50 (2)	_	_	16195.62 (17)	_	_
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS Department of Chemicals and Petrochemicals	250.00 (1)	100.00 (1)	150.00 (1)	_	_	_	250.00 (2)	1.00	_

### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)...जारी

# GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.

मंत्रालय∕विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई	दौरान	वर्ष के अंत में बव	नाया गारंटी क <b>म्</b>	गिशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked		d during e year ——— अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Guarantee Co	ommission or Fee
1	year 2	3	4	during the year)	Discharged 6	Not Discharged	·	प्राप्य Receivable 9	प्राप्त की गई Received 10
-	-	J	·	, and the second		,	2	,	(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

वर्ग- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

इस्पात मंत्रालय									
MINISTRY OF STEEL	508.60	508.60	-	114.61	_		393.99	1.12	1.12
	(2)	(2)		(2)			(2)		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय									
MINISTRY OF MICRO, SMALL									
AND MEDIUM ENTERPRISES,									
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड									
National Small Industries	70.29	69.84	0.45	15.23	_	_	55.06	0.41	0.33
Corporation Limited	(3)	(3)					(3)		

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	106388 90	82446.20	23942.70	3266.99		_	103121.91	156.00	156.00	
Department of Leonomic Amais	(150)	(121)	(29)	(1)			(149)	130.00	130.00	
वाणिज्य विभाग										
Department of Commerce	3.78 (1)	3.78 (1)	_	0.75	_	_	3.03 (1)	0.04	_	
विदेश मंत्रालय										
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	12833.00	6556.20	6276.80				12833.00			
ALTAINS	(3)	(2)	(1)	_	_	_	(3)	_	_	
वर्ग-(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:—										
<b>Class-(iv)</b> Counter-guarantees to lin favour of the companies/corpora		deration of the l	oanks having iss	ued letters of auth	nority to foreign s	uppliers for su	pplies/services made/r	endered by them o	n credit basis,	
इस्पात मंत्रालय										

610.36

(8)

30.52

5.18

MINISTRY OF STEEL

610.36

(8)

610.36 (8)